संख्या-24/2015/2229/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर: 2015

विषयः- उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु "उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014" अधिसूचना संख्या-464/26-2-2014-100(2)/2008 समाज कल्याण अनुभाग-2, दिनांक 24.02.2014 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है तथा उक्त नियमावली के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक राजस्व जिले के प्रत्येक तहसील में भरण-पोषण अधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2595/26-2-2014-100(2)2008टी0सी0 दिनांक 20.10.2014 द्वारा तथा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "अपील अधिकरण" का भी गठन उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2596/26-2-2014-100(2)2008टी0सी0 दिनांक 20.10.2014 द्वारा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2677/26-2-2014-100(2)2008टी0सी0 दिनांक 31.10.2014 द्वारा जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को पदेन भरण-पोषण अधिकारी नामित किया गया है तथा समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-13/2015/1140-26-2-2015 दिनांक 08.06.2015 द्वारा "भरण-पोषण अधिकरण" तथा "अपील अधिकरण" के द्वारा सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अपनाये जाने वाली कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग-निर्देश विषयक "एस0ओ0पी0" (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE) भी निर्गत किया जा चुका है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के प्राविधान के अनुसार प्रदेश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समस्त 75 जनपदों में पी0पी0पी0 (Public Private Partnership) माडल पर अधिकतम् 150 की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालन की कार्ययोजना तैयार की गई है तथा तीन चरणों में प्रदेश के समस्त जनपदों को वृद्धाश्रमों के संचालन से आच्छादित किया जाना है। नियमावली के व्यवस्थानुसार जनपदों में वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में भी एस0ओ0पी0 उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के पत्रांक 20/2015/2167/26-2-2015 दिनांक 16 सितम्बर 2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। उपर्युक्त विषयक समस्त अधिसूचनायें/शासनादेश पूर्व में आपको समय-समय पर प्रेषित किये जा चुके हैं। भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 के प्राविधानों के क्रम में उक्तानुसार विभिन्न गठित अधिकरणों के प्रभावी कार्यान्वयन कराने, वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न चरणों में चयनित जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं उसका सुव्यवस्थित संचालन कराने हेतु आपसे अनुरोध है कि -

1. उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 के नियम-3 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2595 दिनांक 20.10.2014 तथा अधिसूचना संख्या-2596 दिनांक 20.10.2014 द्वारा क्रमशः गठित तहसील स्तरीय भरण पोषण अधिकरण एवं जिला स्तरीय अपील से सम्बन्धित अधिकारियों की तथा जिला भरण-पोषण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारियों की बैठक करके उन्हें उक्त नियमावली के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्ध में निर्गत एस0ओ0पी0 के निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्दिष्ट कार्यो का प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाये। जनसामान्य की जानकारी हेतु इसका सम्यक प्रचार-प्रसार भी कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्र द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को दिशा-निर्देश भेज दिये गये हैं।
2. नियमावली 2014 के नियम-4 के क्रम में प्रत्येक जनपद में सुलह अधिकारी की नियुक्ति की जानी है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश की ओर से निर्धारित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के नाम की संस्तुति आपके स्तर से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी तक अधिकांश जनपदों से प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। अतः जनपद स्तर पर परीक्षण करके सुलह अधिकारी हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. नियमावली 2014 के नियम-24 के तहत अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन पर सलाह देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में अन्य कृत्यों के पालन करने हेतु जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की "जिला स्तरीय समिति" का गठन आपकी अध्यक्षता में की जानी है। नियमावली के प्राविधान के अनुसार जिला स्तरीय समिति का गठन यदि नहीं किया गया है, तो तत्काल करते हुए समिति की बैठक कर प्रथम बैठक का कार्यवृत्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में निर्दिष्ट समयान्तर्गत समिति की बैठक करते हुए दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करायी जाए।

4. नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु जनपदों में पी0पी0पी0 माडल पर तीन चरणों में वृद्धाश्रमों के संचालन की कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसके अनुसार प्रथम चरण में वर्ष 2014-15 के लिए चयनित 24 जनपदों यथा- बांदा, सहारनपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, कुशीनगर, कानपुर नगर, सीतापुर, उन्नाव, आजमगढ, गोरखपुर, मीरजापुर, फैजाबाद, वाराणसी, बस्ती, अलीगढ, गाजियाबाद, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, गोण्डा, लखनऊ एवं मेरठ में वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन प्रदेश स्तर से करते हुए एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इन जनपदों में से अन्तिम 8 जनपदों की स्वैच्छिक संस्थाओं ने एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने के उपरान्त भी प्रस्तावित भवन/भवन के अधिकांश भाग यथा-रसोईघर, भोजनालय, चिकित्साकक्ष, शौचालय, मनोरंजन कक्ष आदि का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है, जिसके लिए संस्थाओं को अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 08.09.2015 एवं दिनांक 18.09.2015 से नोटिस निर्गत की गई है तथा प्रति आपको भी इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है कि सम्बन्धित संस्थाओं के वृद्धाश्रम के भवन के अपूर्ण कार्य का अनुश्रवण कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर आख्या भिजवायी जाये, ताकि वृद्धाश्रम के संचालन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकें। अतः आप अपने जनपद के स्वैच्छिक संस्था के उक्त कार्य की जांच कराकर या तो एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये या यदि उक्त संस्था कार्य करने में अक्षम है तो तदनुसार आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराये, ताकि उक्त संस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के प्रस्ताव को निरस्त कर उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अन्य संस्था के चयन की कार्यवाही की जा सके।

5. उपर्युक्त बिन्दु-4 में उल्लिखित जनपदों में से अन्तिम आठ को छोडकर शेष 16 जनपदों की औपचारिकताए पूर्ण हैं तथा उनमें वृद्धाश्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में संसाधन व्यवस्था हेतु गैरवेतन मद में राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार धनराशि शीघ्र स्वैच्छिक संस्थाओं को अवमुक्त की जा रही है। इन जनपदों में वृद्धाश्रमों का संचालन शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना है तथा नियमावली 2014 के नियम-24 एवं तत्सम्बन्ध में वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार आपकी अध्यक्षता में गठित समिति की अहम् भूमिका है। अतः उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किया जाना वांछित है -

(क) पी0पी0पी0 माडल पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पूर्णतः आवासीय संस्था है तथा उनमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कार्मिकों की तैनाती की जाती है, जिसका मानदेय का व्यय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। इन कार्मिकों का पदवार विवरण, नाम, फोटोयुक्त आई0डी0 प्रूफ, पता, शैक्षिक योग्यता, उम्र, अनुभव के साथ-साथ उनका चरित्र प्रमाण-पत्र एंव उनके आचरण के सम्बन्ध में पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 18.9.2015 से स्वैच्छिक संस्थाओं को रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु लिखते हुए प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है। उक्त का अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित संस्थाध्यक्षों से उक्त विवरण शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करायी जाए।

(ख) वृद्धाश्रम हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण कराकर वरिष्ठ नागरिकों के आवासन आदि हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से समस्त समुचित आवश्यक व्यवस्था एवं शीघ्र कराकर आख्या उपलब्ध करायी जाए।

(ग) नियमावली 2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत भरण-पोषण अधिकरण, अपील अधिकरण, वृद्धाश्रमों के संचालन, एवं इसमें प्रवेश की प्रक्रिया, पात्रता आदि के बारे में जनपदीय, तहसील स्तरीय व विकास खण्ड स्तरीय बैठकों के माध्यम से तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से सम्यक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जनसामान्य को शासन की इस व्यवस्था की जानकारी हो सके और पात्र वृद्धजन लाभान्वित हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस "01 अक्टूबर'' के अवसर पर चयनित जनपदों में से अधिकांश जनपदों जिनमें धनराशि अवमुक्त हो रही है और निर्देश/सूचना आपको अलग से दी जायेगी, में वृद्धाश्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। ऐसे जनपदों में पात्र वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयन की कार्यवाही उक्त तिथि से पूर्व ही किया जाना आवश्यक है। अतः प्रचार-प्रसार कराकर सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक/अनुश्रवण करके आवेदन पत्र आमंत्रित करके दिनांक 01 अक्टूबर 2015 के पूर्व वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु कम से कम 25 लाभार्थियों का चयन अवश्य करा लिया जाए तथा 01 अक्टूबर 2015 को वृद्धाश्रम में आप स्वयं या अन्य किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं तत्समय की स्थिति के अनुसार जनपद के वरिष्ठ जन प्रतिनिधि आदि उपस्थित रह कर जन सामान्य की उपस्थिति में उक्त वृद्धाश्रमों का संचालन प्रारम्भ कराया जाए। वृद्धाश्रम में अन्य अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रियान्तर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रित करके किया जाए।

(च) नियमावली 2014 तत्सम्बन्धी एस0ओ0पी0 की व्यवस्था के क्रम में समय-समय पर वृद्धाश्रमों की व्यवस्था/कार्यक्रमों के संचालन आदि के सम्बन्ध में स्थिति/सुझाव विषयक आख्या निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जाए ताकि उक्त वृद्धाश्रमों का गुणवत्तापरक सही ढंग से संचालन किया जा सके।

(छ) वर्ष 2015-16 के लिए चिन्हित जनपदों में वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-24/2015/2229(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. समस्त संस्थाध्यक्ष (वृद्धाश्रम के संचालन हेतु चयनित)।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।